

**न्यायालय : प्रवीण कुमार सोंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)**

मैं प्रवीण कुमार सोंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर, प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश दिनांकित 04.07.2023 के पृष्ठ क्रमांक 15 में अंकित नोट क्रमांक-16 में अंकित श्री "सुश्री प्राची पाण्डेय" का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर "सुश्री रूपा मिश्रा" का नाम स्थापित किया जाता है :-

**आरक्षी केंद्र शहर कोतवाली मंदसौर के धारा 52 (ए) एन.डी. पी.एस.एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर सुश्री रूपा मिश्रा द्वारा किया जावेगा।**

उक्त कार्यविभाजन आदेश दिनांक **21.03.2024** से प्रभावशील होगा।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मंदसौर (म.प्र.)

**प्रतिलिपियां :-**

पृष्ठांकन क्रमांक 317 / 2024

मंदसौर दिनांक 21 / 03 / 2024

- 01 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 02 पुलिस अधीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 श्री समस्त संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 04 जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 समस्त थाना प्रभारी, मंदसौर की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 06 सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 07 प्रवर्तन लिपिक, सी जे एम न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मंदसौर (म.प्र.)